सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:— 2025 / 800 दर्ज तिथिः— 15.12.2025

1. देवाराम पुत्र हुकमाराम
2. हड़ूमानराम पुत्र हुकमाराम
3. कसुंबीदेवी पत्नी हुकमाराम
   जाति जाट निवासी लाला की बेरी, बाण्ड तहसील नोखड़ा।
4. मगाराम पुत्र करनाराम
5. खेताराम पुत्र करनाराम
6. पुखराज पुत्र करनाराम
7. दोलीदेवी पत्नी करनाराम
   जाति जाट निवासी राणासर खुर्द तहसील नोखड़ा।

...........प्रार्थीगण

बनाम

1. कानाराम पुत्र हीराराम
2. आईदानराम पुत्र लाधाराम
3. खूमाराम पुत्र मोमताराम
4. चेनाराम पुत्र खेताराम
5. जैसाराम पुत्र लाधाराम
6. दलूदेवी पत्नी लाधाराम
7. पूनमाराम पुत्र लाधाराम
8. पपूराम पुत्र मोमताराम
9. पुरखाराम पुत्र खेताराम
10. भंवराराम पुत्र सोनाराम
11. हरखूदेवी पत्नी मोमताराम
12. आदूराम पुत्र सुखाराम
13. जसाराम पुत्र पूनमाराम
14. पुरखाराम पुत्र पूनमाराम
15. बांकाराम पुत्र वगताराम
16. मगी पुत्री पूनमाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:06:16 IST
Reason: SelfAttested

17. रूपाराम पुत्र सुखाराम
18. वरजूदेवी पत्नी पूनमाराम
19. शांति पुत्री पूनमाराम
20. सोनाराम पुत्र वगताराम
21. आदूराम पुत्र पोकरराम
22. उदाराम पुत्र डूंगराराम
23. चुनीदेवी पत्नी पोकराराम
24. ठाकराराम पुत्र पोकराराम
25. दानाराम पुत्र हरलाल
26. धनाराम पुत्र डूंगराराम
27. पुनमाराम पुत्र हरलाल
28. पुरखाराम पुत्र पोकराराम
29. परुखाराम पुत्र पोकराराम
30. विश्नाराम पुत्र पोकराराम
31. सरूपाराम पुत्र डूंगराराम
32. कालूराम पुत्र कुम्भाराम
33. ताजाराम पुत्र हरजीराम
    जाति जाट निवासी लाला की बेरी बाण्ड तहसील नोखड़ा।
34. हुकमाराम पुत्र हरूराम
35. पूनमसिंह उर्फ पूनमाराम पुत्र ताजाराम
    जाति जाट निवासी राणासर खुर्द तहसील नोखड़ा

............असल अप्रार्थीगण

36. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोखड़ा

.................तकमीली अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री नरपत कुमार
अप्रार्थीगणः– एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः– 12.02.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 364/9.8743 है0 मौजा लाला की बेरी पटवार मण्डल बाण्ड, खसरा संख्या 140/1/0.0809 है0 मौजा राणासर खुर्द तहसील नोखड़ा में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:06:16 IST
Reason: SelfAttested

कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार नोखड़ा के यहां प्रार्थना—पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार नोखड़ा के आदेश दिनांक 18.11.2025 की पालना में दिनांक 24.11.2025 को पटवारी हल्का राणासर खुर्द द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन करवाया गया। परन्तु अप्रार्थीगण मौके पर असंतुष्ट होकर पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 364 / 9.8743 है0 मौजा लाला की बेरी पटवार मण्डल बाण्ड, खसरा संख्या 140 / 1 / 0.0809 है0 मौजा राणासर खुर्द तहसील नोखड़ा की पत्थरगढ़ी दिनांक 24.11.2025 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 24.11.2025 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

4. मैंने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.****—(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:06:16 IST
Reason: SelfAttested

5. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***128. Boundary disputes.*** *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> ***Provided that*** *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2074–77 वाकै ग्राम लाला की बेरी व राणासर खुर्द में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार गुडामालानी द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम लाला की बेरी व राणासर खुर्द के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 24.11.2025 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार नोखड़ा के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान किया। मौके पर प्रार्थीगण को सीमाचिह्न बताकर प्रार्थीगण को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 364 ⁄ 9.8743 है0 मौजा लाला की बेरी पटवार मण्डल बाण्ड, खसरा संख्या 140 ⁄ 1 ⁄ 0.0809 है0 मौजा राणासर खुर्द तहसील नोखड़ा पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों ⁄ हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:06:16 IST
Reason: SelfAttested

नोखड़ा को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार नोखड़ा को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 12.02.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

न्यायालय सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:06:16 IST
Reason: SelfAttested